न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 141/**15 (वि.प्रा.पत्र)**

1. श्रीमती चन्द्रीबाई पत्नी सुन्दरलाल मेहता (ब्राहम्ण) निवासी नुरडा तह. मावली।

.....प्रार्थीयां

बनाम्

1. श्री लालु पिता नाथु बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
2. श्री वेणा पिता नाथु बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
3. श्री राजु पिता भजा बलाई नाबावि माता पप्पुडी बेवा भजा बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
4. श्री धापु पिता भजा बलाई नाबावि माता पप्पुडी बेवा भजा बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
5. श्रीमती पप्पुडी बेवा भजा बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
6. श्री कजोड पिता छगु बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
7. श्री रामलाल पिता घीसा बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
8. बबरीबाई पुत्री घीसा बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
9. गीताबाई पुत्री घीसा बलाई निवासी वारणी तह. मावली।
10. श्रीमती नोजीबाई बेवा घीसा बलाई निवासी वारणी तह.मावली **मृतक तर्क किया।**
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
12. पटवारी, पटवार हल्का वारणी, तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री अशोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीयां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 27.11.2019

1. प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वारणी पटवार हल्का वारणी की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 698 से 701 किता 4 रकबा 5 बीघा। उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं। परिशिष्ट (ब) में वर्णित आराजी नम्बर 697 रकबा 9 बिस्वा आ.चा. उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण सं. 1, 2 के नाम 1/3 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हि.ब., विपक्षी सं. 6 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 7 से 10 के नाम

संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सानुसार खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं।

2. प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित मुझ प्रार्थीयां की कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 30 फीट चौडा मार्ग मुख्य रास्ते के सटमा स्थित विपक्षी सं. 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की परिशिष्ट ब में अंकित आ.चा. की पश्चिमी एवं उत्तरी दिशा में खाली पडी भूमि पर बना हुआ है जिससे होकर मैं प्रार्थीयां क्रय की दिनांक से मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आ जा रही है तथा मुझसे पहले इस जमीन के पूर्व खातेदार इसी रास्ते से होकर आते जाते रहे है तथा इसी आ.चा. की खाली पडी भूमि पर बने रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते रहे है तथा वर्तमान में भी इसी अनुसार रास्ते का उपयोग उपभोग करती आ रही हूं। किन्तु विपक्षी सं. 1 से 10 उक्त आ.चा. की जमीन पर बने रास्ते से मुझ प्रार्थीयां को मेरी जमीन में आवागमन करने से रोक रहे है जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

3. मुझ प्रार्थीयां के पास कलम सं. 1 में वर्णित भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान में बरसात का मौसम आ गया है परन्तु विपक्षीगण सं. 1 से 10 द्वाा उक्त वर्णित आ.चा. पर बने रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा मुझे उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक देने से मैं प्रार्थीयां अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रही हूं और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड वगैरा ही करवा सक रही हूं।

4. यह कि वर्तमान में मुझ प्रार्थीया की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता मुख्य मार्ग (डामर रोड) के सटमा स्थित विपक्षी सं. 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की आ.चा. नम्बर 697 की पश्चिमी एवं उत्तरी दिशा की खाली पडी जमीन पर बने रास्ते से होकर ही है और उक्त रास्ते से होकर सुगमता पूर्वक अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकूंगी। इसके अलावा मुझ प्रार्थीयां ने मेरी कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए विपक्षी सं. 1 से 10 को उनकी आ.चा. की खाली पडी भूमि में रास्ता देने बाबत् निवेदन किया किन्तु विपक्षी सं. 1 से 10 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। इसलिए मुझ प्रार्थीयां की जमीनों में आवागमन करने के लिए मुख्य रास्ते (ग्रेवल रोड) से विपक्षी सं. 1 से 10 की

संयुक्त खातेदारी की आ.चा. जिसका परिशिष्ट (ब) में वर्णन किया है उसकी खाली पडी जमीन पर बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ जा सके उतनी चौडाई का रास्ता कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

5. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुंचने के लिए नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौडा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला हैं क्योंकि मुझ प्रार्थीयां की जमीन में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी सं. 1 से 10 की आ.चा. की खाली पडी जमीन पर ही बना हुआ है जिससे होकर ही मेरे से पूर्व इस जमीन के पूर्व खातेदार आते जाते थे और मैं भी उक्त जमीन खरीदने के बाद से इसी रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आ जा रही हूं। मेरी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में मैं अपनी जमीनों मे जाकर खेतों की सफाई, बाड वगैरा भी नहीं करवा पा रही हुं जबकि अभी बरसात का मौसम आने को है। ऐसी अवस्था में मुझ प्रार्थीयां की जमीनों तक पहुंचने के लिए विपक्षी सं. 1 से 10 की आ.चा. की खाली पडी जमीन में से नया मार्ग कायम कराया जाना न्यायासंगत होकर आवश्यक है और विपक्षी सं. 1 से 10 की आ.चा. की खाली पडी भूमि में नया मार्ग कायम करना इसलिए भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी सं. 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की आ.चा. की भूमि मुख्य रास्ते एवं मेरी भूमियों के एकदम मध्य में हैं और निकट हैं। उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से विपक्षी सं. 1 से 10 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि नया मार्ग और सदैव के लिए मेरी जमीनों के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावुंगी जिससे मुझ प्रार्थीयां को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आंकलन किसी सूरत में किया जाना सम्भव नहीं होगा। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

7. मुझ प्रार्थीयां को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.06.2015 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 से 10 को मुझ प्रार्थीयां को उक्त रास्ते से आवागमन से रोक दिया जिस पर मुझ प्रार्थीयां ने मेरी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए उनकी आ.चा. की खाली पडी पर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षी सं. 1 से 10 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हुए। उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
8. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ट अ में अंकित आराजी पर पहुंचने तक के लिए परिशिष्ट ब में अंकित विपक्षी सं. 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की आ.चा. की पश्चिमी एवं उत्तरी दिशा की खाली पडी भूमि पर 30 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौडाई में) मार्ग कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी सं. 11, 12 को आदेशित किया जावें। विपक्षी सं. 1 से 10 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जावे कि विपक्षी सं. 1 से 10 प्रार्थीया को उक्त रास्ता से होकर उसकी कृषि भूमियों में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्व करे, न बाधित करे, प्रार्थीयां को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावें। अन्य दाद माननीय न्यायालय उचित समझे वह प्रार्थीयां को प्रदान कराई जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 9 को जरिये नोटिस तलब किया, विपक्षी सं. 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 10 फौत होने से इनका नाम तर्क किया गया ।
10. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।
11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा वारणी में स्थित प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 225 में जाने हेतु रास्ता चाहता है। जो विपक्षी की आ.न. 697 में पश्चिम व उत्तरी दिशा की भूमि पर 30 फीट चौडा रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिये विपक्षी की आराजी मे से जो भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है वह रास्ता न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्तें के अलावा इससे न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 697 रकबा 9 बिस्वा किस्म आ.चा. की शेष भूमि में से ''13 X 66'' कुल 858 वर्गफीट अर्थात 1 बिस्वा भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,40,020/– अक्षरे एक लाख चालीस हजार बीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 1 बिस्वा की कुल कीमत 7001/– अक्षरे सात हजार एक रूपयें होना बताया हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 225 में जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 697 में से होकर रास्ता चाह

रहे हैं। प्रार्थी को अपने खेत पर जाने के लिये आराजी संख्या 697 में से होकर आना जाना पडता है उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। अतः नियमानुसार शुल्क पर प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायहीत में उचित है। प्रार्थी से कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर लिया जाकर रास्ता दिया जाने का प्रावधान होने से प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता सशूल्क दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वारणी, पटवार हल्का वारणी की आराजी नम्बर 698, 699, 700, 701 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 697 आ.चा. रकबा 9 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक का रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर 1,40,020/— रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रकबा विपक्षीगण की आराजी संख्या 697 में से 1 बिस्वा की कुल कीमत 7001/— का दुगुना 14,002/— अक्षरें चौदह हजार दौ रूपयें प्रार्थी से प्रतिकर के रूप में वसूल कर विपक्षीगण को दिये जावें। इसके पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा$_{IAS}$)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.08 11:22:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: